

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :-एफ.2(7475)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/18/00581/2019 जयपुर, दिनांक 14.2.19

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.स.	नाम एवं पद	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	श्री योगेश कुमावत, सहायक प्रोग्रामर	कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर	1. NIELIT, New Delhi – Scientist C (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2019)
2.	श्री नवीन राज, सहायक प्रोग्रामर	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर	1. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – शीघ्रलिपिक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 (शीघ्रलिपिक पद)
3.	श्री विक्रम, सूचना सहायक	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-2, नोहर, हनुमानगढ़	1. हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET 2018) 2. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग – (Junior Programmer), Advertisement No. 7 3. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग – (Computer Operator), Advertisement No. 7

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

Contd. - -

11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(भंवर सिंह नाथावत)
प्रभारी अधिकारी संस्थापन

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी संस्थापन

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :-एफ.2(7144)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/00595/2019

जयपुर,दिनांक:- 14.2.19

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र. स.	मेरिट नं	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	926	कपिल पालीवाल	कार्यालय उप पंजीयक (प्रथम), जोधपुर	ACF and Forest Range Officer Gr-I Exam 2018
2	953	कपिल गोयल	कार्यालय ए.पी.पी (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, वेर, भरतपुर	DSSSB- TGT Computer Science
3	1008	जितेन्द्र सुथार	कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर	Indian Railways- Junior Engineer CEN No- 03/2018
4	1009	कमलेश कुमावत	कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द	ACF and Forest Range Officer Gr-I Exam 2018 RPSC- Vice Principal/Superintendent I.T.I Exam 2018
5	1074	करिश्मा फौजदार	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, सवाई माधोपुर	RPSC-RAS/RTS Combine Competitive Exam 2018
6	1192	जसवंत कँवर राठौड	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय	SSC Phase-VI/2018/Selection Posts
7	1564	इन्द्रजीत सोनी	कार्यालय उप पंजीयक, ब्यावर, अजमेर	IBPS Specilaist Officer Exam 2018 SSC CGL Exam 2018 Computer Operator cum Programming Assistant (COPA)
8	2129	कुँवरसैन	कार्यालय निर्वाचक रजि. पदाधिकारी (उपखण्ड अणिकारी), नदबई, भरतपुर	RPSC- Vice Principal/Superintendent I.T.I Exam 2018 ACF and Forest Range Officer Gr-I Exam 2018 DSSSB- DASS Competitive Exam 2017
9	2196	हीरा लाल कुमावत	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि., सीकर	RPSC-Senoir Teacher Gr-II Exam 2018 School Lecturer (School Edu.) - 2018
10	2328	जया सोलंकी	कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान, महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर	ACF and Forest Range Officer Gr-I Exam 2018 RPSC-Senoir Teacher Gr-II Exam 2018
11	2529	जितेन्द्र कुमार	उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, झुन्झुनू	Computer Operator cum Programming Assistant (COPA)

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

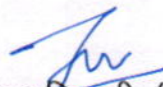
राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(बी. एस. नाथावत)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)